

विषय सूची

विषय	प्रस्तर संख्या	पृष्ठ संख्या
प्राककथन		v
अध्याय—।		
शहरी स्थानीय निकायों का विहंगावलोकन		
प्रस्तावना	1.1	1
संगठनात्मक ढाँचा	1.2	2
निधियों का स्रोत	1.3	3
निधियों आवंटन	1.4	3
निधियों की अवमुक्ति	1.5	3—4
शहरी स्थानीय निकायों की कार्य प्रणाली	1.6	4
लेखापरीक्षा व्यवस्था	1.7	4
लेखापरीक्षा क्षेत्र	1.8	4
लेखे पर टिप्पणी	1.9	5
तुलन पत्र का रख—रखाव न किया जाना	1.9.1	5
अवशेषों का मिलान न किया जाना	1.9.2	5
सम्पत्ति पंजिका का रख—रखाव न किया जाना	1.9.3	5
अग्रिम पंजिका का रख—रखाव न किया जाना	1.9.4	5
अभुगतानित दायित्व	1.9.5	6
अप्रयुक्त अवशेष	1.9.6	6
रोकड़ बही में अपरिलक्षित आहरित धनराशि	1.9.7	7
लेखे का प्रमाणीकरण	1.9.8	7
संस्तुतियाँ	1.9.9	7

अध्याय—॥

लेखापरीक्षा परिणाम

नगर निगम

अग्रिम प्राप्त कर्ताओं से अग्रिम की वसूली न किया जाना।	2.1	8
करो, किरायों एवं अनुज्ञाप्ति शुल्क की वसूली न किया जाना।	2.2	9
रोड कटिंग प्रभारों की वसूली न किए जाने से राजस्व हानि	2.3	9
चुंगी चौकी का निस्तारण न किये जाने से राजस्व अप्राप्ति	2.4	10
व्यापार कर की कटौती न किए जाने से राजस्व हानि	2.5	10
भूखण्डों की बिक्री न होने से राजस्व की प्राप्ति न होना	2.6	10

नगर पालिका परिषद

किराया, उपकरों एवं करों की वसूली न किया जाना	2.7	11
अनुदानों/निधि उपयोग न किया जाना	2.8	11
भूमि के उपयोग हेतु शुल्क की वसूली न किए जाने से राजस्व हानि	2.9	11
नीलामी धनराशि वसूल न किये जाने से राजस्व हानि	2.10	12
रोड कटिंग प्रभारों की वसूली न किया जाना	2.11	12
विलेख शुल्क की अप्राप्ति	2.12	13
सांविधिक वसूलियों का जमा न किया जाना	2.13	13
बजट से अधिक व्यय	2.14	14
आयकर/व्यापार कर की कम कटौती/जमा न किया जाना	2.15	15
असमायोजित अग्रिम	2.16	15
कार्यपूर्ण करने में विलम्ब के लिए ठेकेदारों पर दण्ड अधिरोपित न किया जाना	2.17	15

नगर पंचायत

किराया, कर एवं उपकर की वसूली न किया जाना	2.18	16
अप्रयुक्त निधि	2.19	16
अनुज्ञाप्ति शुल्क कम/अनारोपण से राजस्व हानि	2.20	17
कम मूल्य पर ठेका दिए जाने से राजस्व हानि	2.21	17
स्टाम्प ड्यूटी न लगाये जाने से राजस्व हानि	2.22	17
आयकर एवं व्यापार कर जमा न किया जाना/कम कटौती/कटौती न किया जाना	2.23	18
संस्तुतियाँ	2.24	18

परिशिष्टियाँ			
परिशिष्ट संख्या	विवरण	प्रस्तर संख्या	पृष्ठ संख्या
1	वर्ष 2004–05 में निरीक्षित नगर निगमों की सूची	1.8	20
2	वर्ष 2004–05 में निरीक्षित नगर पालिका परिषदों की सूची	1.8	21–22
3	वर्ष 2004–05 में निरीक्षित नगर पंचायतों की सूची	1.8	23
4	प्राप्ति एवं भुगतान लेखों का रखरखाव न किया जाना	1.9.1	24
5	नगर पालिका परिषदों में रोकड़बही से बैंक पास बुकों का मिलान न किया जाना	1.9.2	25
6	नगर पंचायतों में अवशेषों का मिलान न किया जाना	1.9.2	26
7	नगर पंचायतों में परिसम्पत्ति पंजिका का रखरखाव न किया जाना	1.9.3	27
8	नगर निगमों के अप्रयुक्त अवशेष	1.9.6	28
9	नगर पालिका परिषदों की अप्रयुक्त निधियां	1.9.6	29–31
10	नगर पालिका परिषदों में किराया, उपकरों एवं करों की वसूली न किया जाना	2.7	32–33
11	नगर पालिका परिषदों में निधियों को अप्रयुक्त रखना	2.8	34
12	नगर पालिका परिषदों में नीलामी की धनराशि की वसूली न किया जाना	2.10	35
13	नगर पालिका परिषदों में अग्रिमों का समायोजन न किया जाना	2.16	36
14	नगर पालिका परिषदों में कार्यपूर्ण करने में बिलम्ब के लिए ठेकेदारों पर दण्ड अधिरोपित न करना	2.17	37
15 (a)	नगर पंचायतों में गृह कर की वसूली न किया जाना	2.18 (i)	38
15 (b)	नगर पंचायतों में किराया, उपकरों एवं करों की वसूली न किया जाना	2.18 (ii)	39–40
16	नगर पंचायतों में अप्रयुक्त निधि	2.19	41
17	नगर पंचायतों में शासनादेशों के अनुरूप अनुज्ञाप्ति शुल्क कम/अनारोपण से राजस्व की हानि	2.20	42
18	नगर पंचायतों में स्टाम्प डयूटी न लगाये जाने से राजस्व हानि	2.22	43
19	नगर पंचायतों में आयकर एवं व्यापार कर का न जमा किया जाना / न कटौती किया जाना	2.23	44